न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दूदू , जिला राज0

पीठासीन अधिकारी -- रतनलाल योगी आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 11/2022

अन्तर्गत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 29.12.2023

सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जयपुर राज0

बनाम

1 मदनलाल यादव पुत्र कानाराम यादव (विक्रेता)

मैसर्स– राजधानी स्वीट्स बस स्टैण्ड फागी जिला जयपुर–303005

निवारी ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर जिला जयपुर

2 अर्जुनलाल यादव (मालिक)

मैसर्स– राजधानी स्वीट्स बस स्टैण्ड फागी जिला जयपुर–303005

उपस्थित अधिवक्ता – उदयसिंह

अर्न्तगत धारा 26 की उप धारा 2 (11) 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

परिवाद अर्न्तगत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 सरकार जरिये दीपक कुमार सिंधी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राज0 द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है–

1 यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.01.2022 को कार्यालस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर में कार्य सम्पादन कर है। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नाटिफिकेशन 2011/440 दिनांक 26.07.2011 तथा संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए / नोटिफिकेशन 2011/470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया है।

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.01.2022 को दोपहर 3.00 पी0एम0 पर मैसर्स-- राजधानी स्वीटस बस स्टैण्ड फागी पर पहुँचा। वहॉ यह मदनलाल यादव पुत्र कानाराम यादव उपस्थित थें। मैंने अपना परिचय दिया एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

परिपत्र दिखाया तथा पूछने पर मदनलाल ने स्वयं के मैसर्स राजधानी स्वीट्स बस स्टेण्ड फागी का विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री मदनलाल यादव से खाद्य सुरक्षा पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा। जिस पर उन्होंने पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 व स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति मौके पर ही प्रस्तुत की जो रिकार्ड मे संलग्न है।

3. यह कि आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राजधानी स्वीटस की दुकान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विकय हेतु बर्फी (मावा मिठाई) की 4 ट्रे (कुल 20 किलो) रखी हुई थी। इसमे गुणवत्ता की कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जॉच हेतु एक ट्रे में से 2 किलोग्राम बर्फी खरीदकर उसी कीमत 600 रूपये विक्रेता मदनलाल के नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। उपस्थित गवाहान श्री धोलूराम एंव संदीप अग्रवाल के हस्ताक्षर करवाये गये । एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद आवदेन के साथ संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पार फार्म संख्या 5 ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मदनलाल यादव ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता मदनलाल यादव को देकर प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए व फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा 2 किलोग्राम बर्फी को एक रूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के चौडे मुहँ की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 किलोग्राम बर्फी को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल मे परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बुदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक ए एन–2388 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तथा गवाहन के एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कराये। चारों भागों के नमूना को अलग –2 खाकी कागज में लपेठ कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितिय की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नम्बर एएन–2388 नियमानुसार चारों नमूना भावों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भावों पर नियमानुसार गवाह के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दिक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भावों को अपने जाप्ते में लिया।

6 यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फॉर्म न0 6 की 7 प्रतियां तैयार कि ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फॉर्म सं0 6 कि प्रति के आउटर कवर से सीलबंद कर सील मोहर पर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

7 यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय के पत्र कमांक एफएसएसए/2022/26 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2011 एक्ट/2022/235 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर

वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया। पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट एवं रजिस्ट्री की रसीद आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि उक्त केश में 1. मदनलाल यादव पुत्र कानाराम यादव (विक्रेता) मैसर्स राजधानी स्वीट्स बस स्ट्रेण्ड फागी, जिला जयपुर निवासी जैतपुर खींची, तहसील आमेर, जिला जयपुर। 2. अर्जुनलाल यादव (मालिक) मैसर्स राजधानी स्वीट्स बस स्ट्रैण्ड फागी, जिला जयपुर के द्वारा सब स्ट्रेण्डर्ड बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।)51 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मान अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णयन श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत है।

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायलान की ओर से उदयसिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। गैरसायलान को जवाब हेतु प्रर्याप्त समय दिया गया। गैरसायलान द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। गैरसायलान द्वारा निर्णय पारित करने का निवेदन किया गया। गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) में मीठा ज्यादा होना स्वीकार किया गैर सायलान ने अपने कथन में कहा कि ग्रामीण एरिया होने के कारण ग्रामवासी मीठा ज्यादा पसंद करते है इसलिये बर्फी (मावा मिठाई) में मीठे की मात्रा ज्यादा रखी जाती है।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन करने पर स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री की रिपोर्ट नम्बर एल.एस./211/एक्ट/2022/235 दिनांक 28.01.2022 की टेस्ट रिपोर्ट अनुसार बर्फी (मावा मिठाई) सब स्टैण्डर्ड रिपोर्ट के आधार पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।)51 का उल्लंघन पाये जाने पर पर गैरसायल को 2000/रू. का जुर्माना किया जाता है। गैरसायल उक्त जुर्माना राशि को राजकोष में जमा करावें। गैरसायलान को खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के तहत ही बर्फी (मावा मिठाई) विक्रय निर्माण करके ही विक्रय करें। गैरसायलान को हिदायत दी जाती है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के उल्ल्घंन करते हुये पाये जानें पर इस जुर्माना राशि का 10 गुना जुर्माना राशि अर्थदण्ड के रूप में राजकोष जमा में करवाना होगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जिला दूदू, राज0